न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 136/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/523

1. देव रानी उर्फ रीना पुत्री लक्ष्मणसिंह निवासी जलख मौजा तहसील देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
2. आशा रानी पुत्री लक्ष्मणसिंह निवासी जलख मौजा तहसील देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
3. रचना देवी पुत्री लक्ष्मणसिंह निवासी जलख मौजा तहसील देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
4. सीता देवी पुत्री लक्ष्मणसिंह निवासी जलख मौजा तहसील देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. **कृष्ण कुमार पुत्र सरताज सिंह उर्फ उस्ताज सिंह जाति राजपूत निवासी विलासपुर देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश**
2. **स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार भू—अभिलेख अनूपगढ**
3. **सरपंच, ग्राम पंचायत, 9 एलएम बी पंचायत समिति अनूपगढ़**

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री राजेश कुमार डाल, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. प्रेमचन्द अतरी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1
3. तहसीलदार, अनूपगढ, प्रत्यर्थी सं. 2

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 27.02.2024

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपीलार्थी के द्वारा तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 02.08.2001 जिसके द्वारा वसीयत के आधार पर चक 11 एलएम मु.नं. 20 प.नं. 240/24 की 25 बीघा यानि 6.198है. भूमि का इन्तकाल प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम से दर्ज किया गया हैं से व्यथित होकर ये अपील प्रस्तुत की गयी हैं।
2. मियाद के बिन्दू पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रत्यर्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अपीलाधीन आदेश से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पों. सं. 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलांट द्वारा अपील तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 02.08.2001 एवं सरपंच ग्राम पं. 9 एलएम बी इन्तकाल स्वीकृत आदेश दिनांक 15.08.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जबकि आदेश दिनांक 02.08.2001 एवं आदेश दिनांक 15.08.2001 के विरूद्ध अलग—अलग अपील पेश करनी चाहिए थी जो दोनों आदेशों के विरूद्ध एक ही अपील पेश किये जाने के कारण काबिल निरस्ती हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त नहीं हैं। अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 ने निवेदन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होने के कारण अपील खारिज करने [illegible] लार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के [illegible] 02.08.2001 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी हैं। सरप[illegible] के आदेश की पालना में इन्तकाल दर्ज किया गया [illegible] होने पर सरपंच का आदेश स्वतः ही प्रभावहीन हो जावेगा। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने के लिए निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर म[illegible] किया। अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार अनूपगढ के आदेश दिनांक 02.08.2001 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अपने अनुतोष में तहसीलदार अनूपगढ का आलौच्य आदेश दिनांक 02.08.2001 तत्पश्चात आलौच्य आदेश के प्रकाश में सरपच ग्राम पंचायत 9 एलएम बी द्वारा रेस्पोंडेंट सं. 1 के नाम से दर्ज इन्तकाल सं. 63 दिनांक 05.08.2001 को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:47:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर अनूपगढ़

3. अपील पर उभयपक्ष अधिवक्तगण को सुना गया। प्रकरण में मियाद के बिन्दू पर निर्णय शेष हैं। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया हैं कि रेस्पो. सं. 1 द्वारा अपीलार्थीगण की माता की तथाकथित फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार पर अपने नाम से भूमि का अमलदरामद करवा लिया गया हैं। अपीलार्थीगण को इसका ज्ञान होने पर दिनांक 02.11.2023 को इन्तकाल व इन्तकाल आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की गयी हैं। अपील इल्म से अन्यर मियाद स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। प्रत्यर्थी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया हैं कि अपीलार्थी द्वारा वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौति नहीं दी गयी हैं। 20 वर्ष बाद प्रत्यर्थी को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की हैं। अपील इसी स्तर पर खारिज करने के लिए निवेदन किया।

4. उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायलालय तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 02.08.2001 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी हैं। अपील वसीयत के कूटरचित व फर्जी होने के तथ्य के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। लेकिन इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में वसीयत को चुनौति देने अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा अपील को निरस्त किये जाने बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अपील दिनांक 09.11.2023 को न्यायालय में पेश की गयी हैं। अपील आलौच्चय आदेश के 22 वर्ष के पश्चात प्रस्तुत की गयी हैं, अपील को अन्दर मियाद स्वीकार किये जाने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई ठोस आधार/साक्ष्य पेश नहीं किया गया हैं।

5. **अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता हैं। चूंकि अपील प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह गयी है, इसलिए अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। पत्रावली में लम्बित अन्य प्रार्थना पत्र भी इसी स्तर पर खारिज किये जाते हैं।**

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:47:43 IST
Reason: SelfAttested